

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 06 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

थाना महुली पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3302 द्वारा सडक दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल - थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत कालर ने सोनी होटल के पास बाइक को डीसीएम द्वारा पीछे से ठोकर लगने से घायल 01 व्यक्ति (1. मस्तीउल्लाह पुत्र नबीउल्लाह ग्राम तिवारी टोला मगहर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को ईलाज हेतु 108 एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को अवगत कराया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायल व्यक्ति को ईलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी ।

पीआरवी स्टाफ- आ0 अंकित कुमार यादव, हो0चा0 अम्बरीश यादव ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 72 वाहनों से 74,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 03.05.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 72 वाहनों से 74,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आगजनी व मारपीट के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डे*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा ***श्री रामकृष्ण मिश्र*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 190/2025 धारा 324(2),326(छ),351(3) बीएनएस में वांछित अभियुक्त नाम पता 01. खीर चन्द्र पुत्र रामदुलारे निवासी ग्राम तिघरा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को आज दिनांक 03.05.2025 को गिरफ्तार कर नियमानुसार माननीय न्यायालय भेजा गया ।

विदित हो कि वादी दिनांक 29.04.2025 को अपने घर के सामने लगी झोपड़ी में मवेशियों के साथ रात्रि में विश्राम कर रहा था कि विपक्षी द्वारा अंधेरी का फायदा उठाकर झोपड़ी में आग लगा दी गई जिसकी सूचना वादी द्वारा थाना स्थानीय पर दिनांक 02.05.2025 को दी गयी । जिसके उपरान्त थाना धनघटा पर प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया, प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना धनघटा पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए उक्त अभियुक्त को आज दिनांक 03.05.2025 को गिरफ्तार कर नियमानुसार माननीय न्यायालय भेजा गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 प्रमोद कुमार नायक, हे0कां0 सुनील यादव, का0 रवि चौरसिया ।